पत्रांक–04 / सड़क–01–65 / 2026 /न०वि०एवंआ०वि०

२१७

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–26/10/26

विषयः– **नगर परिषद, झंझारपुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹246.36700 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2026–27 में तत्काल राशि ₹46.36700 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र सहायक अनुदान के रुप में राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, झंझारपुर का पत्रांक–1499 दिनांक–29.07.2026 द्वारा नगर परिषद्, झंझारपुर क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में दिनांक–06.10.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–10706 दिनांक–07.10.2026 द्वारा योजना स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक–14.10.2026 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–1130 दिनांक–16.10.2026 द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर परिषद, झंझारपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अनुरूप स्तम्भ–7 में अंकित तत्काल राशि ₹46.36700 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

राशि लाख में

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	पी०एल० सं०	HOA	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
6	नगर परिषद, झंझारपुर	नगर परिषद, झंझारपुर क्षेत्रान्तर्गत झंझारपुर स्थित पथ निर्माण विभाग की सड़क से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक जाने वाली सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	JJPPLA002	00-8448-00-102-0002-00-01	246.36700	46.36700	200.00
		कुल राशि			**246.36700**	**46.36700**	**200.00**

अर्थात् ₹46.36700 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹46.36700 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निकाय के PL खाता तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹46.36700 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू0) मात्र की निकासी माँग संख्या– 48, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217037890102, विषय शीर्ष–0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

7. उक्त योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सड़क–01–65/2026 के पृष्ठ संख्या 23 /टि० पर दिनांक–22.10.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ संख्या 24 /टि० पर दिनांक–23.10.2026 को प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04 / सड़क–01–65 / 2026 219 /न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 26/10/21

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित नगर आयुक्त / संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / अवर सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/21

सरकार के संयुक्त सचिव।